आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

24.6.17

न्यायालय अपर समाहर्त्ता, अररिया

जमाबंदी रद्दीकरण वाद सं0 – 230/2017–18

मो0 नुरऐन आलम, पिता–दोस्त मोहम्मद, ग्राम–बाँसर पुरन्दाहा, थाना–पलासी, जिला--अररिया – आवेदक

बनाम

मो0 अकबाल खाँ, पिता–डोमन खाँ, ग्राम–बाँसर, थाना–पलासी, जिला–अररिया

आदेश

प्रस्तुत वाद आवेदक नुरूऐन आलम के आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, पलासी के पत्रांक 68, दिनांक 30.3.2017 द्वारा निम्न विवरण की जमीन का जमाबंदी रद्दीकरण का प्रस्ताव इस न्यायालय को प्रेषित किया गया है :–

जमीन का विवरण

मौजा	थाना नं0	खाता	खेसरा	रकवा	जमाबंदी सं0
पुरन्दाहा	145	83	246	40 डी0	226

पक्षकारों को सूचना निर्गत की गई। आवेदक अधिवक्ता नियुक्ति पत्र के साथ उपस्थित हुए। किन्तु विपक्षी सूचना प्राप्ति के पश्चात् भी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। तत्पश्चात आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता को सुना गया।

आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि प्रश्नगत भूमि का कुल खतियानी रकवा 2.69 एकड़ भूमि शे0 मकबुल अली, पिता–उमर अली के नाम दर्ज था तथा खेसरा–II में भी जमाबंदी उनके नाम दर्ज हुआ। खतियानी रैयत मकबुल अली अपने जीवन काल में ही निबंधित दान पत्र सं0 3909, दिनांक 25.3.1972 द्वारा अपने पुत्र मजीदुर्रहमान को दान कर दिया गया। जिसका दाखिल–खारिज पुत्र द्वारा नहीं कराया गया। जिसका जमाबंदी खतियानधारी के नाम पर ही रह गया। खतियानधारी के पुत्र मजीदुर्रहमान द्वारा दो निबंधित दस्तावेज सं0 10024, दिनांक 31.5.1985 एवं दस्तावेज सं0 4810, दिनांक 14.10.1987 द्वारा रकवा 42 डी0 + 40 डी0, कुल 82 डी0 भूमि मो0 अकबाल खाँ, पिता–डोमन खाँ, सा0–बाँसर के हाथ बिक्री कर दी गई। जिसमें से मो0 अकबाल खाँ द्वारा निबंधित दस्तावेज सं0 10024, दिनांक 31.5.1985 द्वारा प्राप्त भूमि रकवा 42 डी0 का नामान्तरण, नामान्तरण वाद सं0 386/4/1986–87 द्वारा कराकर जमाबंदी सं0 226 दर्ज कराया गया। दूसरे केवाला सं0 4810, दिनांक 14.10.1987 द्वारा प्राप्त भूमि रकवा 40 डी0 का नामान्तरण, क्रेता अकबाल खाँ द्वारा नहीं कराया गया और

प्रश्नगत खेसरा से क्रय रकवा कुल 82 डी0 भूमि निबंधित दो दस्तावेज, दस्तावेज सं0 6781 एवं 6708, दिनांक 6.11.1993 द्वारा आवेदक नुरऐन आलम को बिक्री कर दी गई। जिसका दाखिल खारिज आवेदक द्वारा कराई गई और लगान रसीद प्राप्त किया गया। किन्तु तत्कालीन हल्का कर्मचारी द्वारा विक्रेता के जमाबंदी सं0 226 से मात्र रकवा 8 डी0 भूमि घटाई गई तथा शेष 74 डी0 भूमि मूल खाताधारी शेख मकबूल अली की जमाबंदी से घटा दी गई। जबकि विक्रेता के जमाबंदी सं0 226 से रकवा 42 डी0 भूमि घटाई जानी थी। परन्तु हल्का कर्मचारी के गलती से विक्रेता के जमाबंदी सं0 226 में रकवा 34 डी0 भूमि अधिशेष रह जाने के कारण विक्रेता मो0 अकबाल द्वारा अपनी पूर्ण भूमि बिक्री कर दिये जाने के पश्चात् भी विक्रेता मो0 अकबाल खाँ द्वारा शेष बची हुई 34 डी0 भूमि का लगान रसीद अपने नाम कटाकर विवाद पैदा किया जा रहा है।

अतएव विक्रेता अकबाल खाँ के दर्ज जमाबंदी सं0 226 को रद्द करने का अनुरोध करते हैं। विपक्षी विक्रेता के अनुपस्थित रहने तथा अभिलेख में उपलब्ध साक्ष्यों तथा अंचलाधिकारी, पलासी के प्रतिवेदन/अनुशंसा तथा आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता को सुनने से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि विक्रेता द्वितीय पक्ष मो0 अकबाल खाँ द्वारा दो निबंधित दस्तावेज से कुल रकवा 42 डी0 + 40 डी0, कुल 82 डी0 खतियानी रैयत के पुत्र से क्रय कर आवेदक मो0 नुरूऐन आलम को बिक्री कर दी गई। विपक्षी मो0 अकबाल खाँ द्वारा एक केवाला सं0 10024, दिनांक 31.5.1985 द्वारा प्राप्त भूमि रकवा 42 डी0 का दाखिल खारिज नामान्तरण वाद सं0 386/4/1986–87 द्वारा कराकर जमाबंदी सं0 226 दर्ज कराया गया। किन्तु दूसरे केवाला सं0 4810, दिनांक 14.10.1987 द्वारा प्राप्त भूमि रकवा 40 डी0 का दाखिल खारिज नहीं कराया गया। जिसके कारण 40 डी0 भूमि कुल खतियानी रैयत के नाम पर ही पंजी–II में दर्ज रह गई।

आवेदक मो0 नुरऐन आलम ने निबंधित दो दस्तावेज से विक्रेता मो0 अकबाल खाँ से प्रश्नगत खेसरा से कुल रकवा 82 डी0 क्रय कर दाखिल खारिज दोनों केवाला को कराया, किन्तु हल्का कर्मचारी की गलती की वजह से मूल खतियानी रैयत की जमाबंदी में दर्ज भूमि से 74 डी0 भूमि घटा दी गई और विक्रेता अकबाल खाँ की दर्ज जमाबंदी सं0 226 से मात्र 8 डी0 भूमि ही घटाकर आवेदक को रसीद निर्गत कर दिया गया। जबकि विक्रेता अकबाल खाँ के दर्ज जमाबंदी सं0 226 से 42 डी0 भूमि घटाई जानी थी। इस प्रकार विक्रेता के जमाबंदी सं0 226 में 34 डी0 भूमि अवशेष बचत रह गई, जिसका लगान रसीद विक्रेता द्वारा प्राप्त कर लिया गया है। जबकि उनके द्वारा अपनी पूर्ण क्रय भूमि आवेदक को बिक्री कर दी गई है।

अतएव आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता के तर्कों तथा अंचलाधिकारी के अनुशंसा के आलोक में विक्रेता मो0 अकबाल खाँ, पिता–डोमन खाँ, सा0–बाँसर के नाम दर्ज जमाबंदी सं0 226 को रद्द किया जाता है तथा अंचलाधिकारी, पलासी को आदेश दिया जाता है कि जमाबंदी सं0 226 की अवशेष भूमि रकवा 34 डी0 को मूल खाताधारी शेख

मकबूल अली के जमाबंदी में शामिल कर जमाबंदी सुधार करते हुए लगान रसीद आवेदक को निर्गत करना सुनिश्चित करेंगे।

पारित आदेश की प्रति एवं अंचल अधिकारी, पलासी को अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु भेंजे।

लेखापित एवं संसोधित

ह०-

अपर समाहर्त्ता,
अररिया

ह०-

अपर समाहर्त्ता,
अररिया

ज्ञापांक 81 /रा0(न्या0), अररिया, दिनांक 24 / 06 /2017

प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, पलासी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

24.6.17

अपर समाहर्त्ता,
अररिया